न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 13/2021 (जीसीएमएस नम्बर–2021/17)

1. पप्पू पुत्र कजोडनाथ
2. प्रकाश पुत्र कजोडनाथ
   समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम भांवता तहसील बसवा जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार बांदीकुई निर्णय दिनांक 26.02.2020 अपील संख्या 58/2019 बउनवानी सरकार बनाम पप्पू वगै0 व निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 08.01.2021 प्रकरण संख्या 56/2020 उनवानी पप्पू वगै0 बनाम राजस्थान सरकार में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.01.2021 एवं नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2020 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2076 में वाके ग्राम भावंता तहसील बसवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है0 किस्म चरागाह पर पुख्ता मकान व बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं 3 माह (90 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2019 सरकार बनाम पप्पू वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2021 पारित किया गया है।

3. नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 26.02.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों का निर्णय विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई

द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का च सबूत का पूर्ण अवसर दिये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय दिनांक 26–2–2020 पारित कर दिया तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा भी अपील के तथ्यो को नजरअंदाज कर दिनांक 08.01.2021 को अपील खारिज फरमा दी। योग्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नही करके निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति सिद्ध था कि हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय नायब तहसीलार बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्णतः गलत पेश की गई थी क्योकि हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके पर कभी भी चरागाह भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया था तथा उक्त चरागाह की भूमि से लगती हुई मिन अपीलांट्स की भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं किया था। बिना किसी आधार के उक्त रिपोर्ट कतई पोशीदा तरीके से नायब तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा नायब तहसीलदार द्वारा कोइ जांच किये बिना दिनांक 26.02.2020 का निर्णय पारित कर दिया तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना कोई जांच करवाये अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट्स की अपील खारिज फरमा दी जिस कारण निर्णय हरदो न्यायालय निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ नायब तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष अपीलांट्स द्वारा बता दिया था कि अपीलांट्स द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है क्योकि अपीलांट्स गरीब जोगी समाज के लोग है तथा अपनी स्वयं की भूमि मे अपना मकान व बाडा बनाकर निवास कर रहे है तथा सरकार द्वारा जारी इन्द्रा आवास योजना के तहत अपना मकान बना रखा है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिस कारण निर्णय निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति सिद्ध था कि अधिनस्थ नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपीलांट्स पप्पू व प्रकाश के विरुद्ध एक ही 91 की कार्यवाही की गई है जबकि कानूनन अलग अलग व्यक्तियो के विरूद्ध अलग अलग कार्यवाही पत्रावली चलायी जा सकती है तथा अलग अलग नोटिस जारी किये जाते है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति सिद्ध था कि न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई के यहां विचाराधीन प्रकरण मे हल्का पटवारी व गिरदावर के बयान दर्ज नही हुए थे तथा ना ही जिरह हुई थी फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्ट को एक्जीबिट होते हुए भी उक्त रिपोर्ट को सही मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मिन अपीलांट्स के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिकमी होने का कोई प्रमाण भी नही था तथा ना ही कोई पुरानी रिपोर्ट व ना ही कोई बयान दर्ज हुए थे फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नही देकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर कानून पारित किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 08.01.2021 व नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02020 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2020 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2076 में वाके ग्राम भावंता तहसील बसवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है0 किस्म चरागाह पर पुख्ता मकान व बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं 3 माह (90 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहॉ अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2019 सरकार बनाम पप्पू वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2021 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2020 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2021 द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का भावता तहसील बसवा ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम भावता में स्थित राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है0 किस्म चरागाह पर सम्वत 2076 में पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रमी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी पप्पू, प्रकाश पिता कजोड नाथ द्वारा ख.नं. 358 रकबा 0.06 किस्म चारागाह में वर्तमान में अतिक्रमण रिपोर्ट पटवारी बाद जांच गिरदावर से प्रमाणित होता है कि मामला अदम सबूत है नियमन योग्य नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर